

प्रेषक,

सुखदेव सिंह,
प्रधान सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : 05-07-16

विषय :- मॉग संख्या-50- जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, लघु शीर्ष-796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-03-रेसनलाइजेशन ऑफ माइन एरिगेशन स्टैटिस्टिक, विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय विपत्र कोड-50S470200796030759 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) / 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	796-जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना / 03 रेसनलाइजेशन ऑफ माइन एरिगेशन स्टैटिस्टिक	07-अन्य व्यय 59-अन्य व्यय 50S470200796030759	106.74316

आवंटित राशि - ₹ एक करोड़ छः लाख चौवहत्तर हजार तीन सौ सोलह मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2016-17 के बजट उपबंध 500.00 लाख (₹ पाँच करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 एवं 1363(वि.) दि. 09.05.2016 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट 1 में वर्णित कार्यों के लिए किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
- सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।

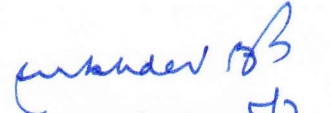
(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

9. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
10. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
11. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैन्युअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
13. AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2017 तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

75

राँची, दिनांक :-

05-07-16

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो.- हिनू राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/खूँटी/लोहरदगा/गुमला/सिमडेगा/चाईबासा/जमशेदपुर/सरायकेला-खरसावाँ/मेदिनीनगर/गढ़वा/लातेहार/हजारीबाग/रामगढ़/चतरा/कोडरमा/धनबाद/बोकारो/दुमका/साहेबगंज/पाकुड़/गोड्डा/जामताड़ा/गिरिडीह/देवघर सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

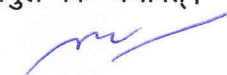
75

राँची, दिनांक :-

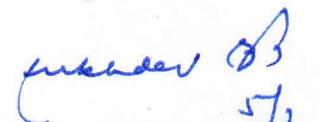
05-07-16

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त, सचिव योजना एवं विकास विभाग/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता


(मुक्ति साधम चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)


(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

पत्रांक -

75

/ रॉची, दिनांक -

05-07-16

परिशिष्ट - 1

मॉग संख्या-50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)

मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,

लघु शीर्ष-796-जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना,

उपशीर्ष-03-रेसनलाइजेशन ऑफ माइन एरिगेशन स्टैटिस्टिक

विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय, 59-अन्य व्यय

विपत्र कोड-50S470200796030759

बजट उपबंध (वर्ष 2016-17) रु. 500.00 लाख

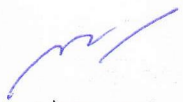
(लाख ₹ में)

क्र.	कार्यालय का नाम	मुख्य अभियंत	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2016 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2016-17 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	लघु सिंचाई रूपांकण प्रमंडल, रॉची (DRNMIR001)	लघु सिंचाई, रॉची / दुमका	पंचम लघु सिंचाई योजनाओं का गणना कार्य	24/15-16 dt. 13.08.2015	343.7426	21.40108	0.00000	1.14316	1.14316	42528	
2	लघु सिंचाई प्रमंडल, रॉची (RNCMIR001)					0.33522	0.00000	4.40000	4.40000	42529	
3	लघु सिंचाई प्रमंडल, खूँटी (RNCIRRK01)					0.22000	0.00000	4.40000	4.40000	42530	
4	लघु सिंचाई प्रमंडल, लोहरदगा (LDGIR001)					1.48654	0.00000	4.40000	4.40000	42531	
5	लघु सिंचाई प्रमंडल, गुमला (GMLIR006)					0.28470	0.00000	4.40000	4.40000	42532	
6	लघु सिंचाई प्रमंडल, सिमडेगा (SDGMIR001)					0.00000	0.00000	4.40000	4.40000	42534	
7	लघु सिंचाई प्रमंडल, चाईबासा (SGHMIR002)					0.00000	0.00000	4.40000	4.40000	42535	
8	लघु सिंचाई प्रमंडल, जमशेदपुर (JSRMIR001)					0.24060	0.00000	4.40000	4.40000	42536	
9	लघु सिंचाई प्रमंडल, सरायकेला (SKLIR033)					0.56242	0.00000	4.40000	4.40000	42542	
10	लघु सिंचाई प्रमंडल, मेदिनीनगर (PLMMIR041)					0.00000	0.00000	4.40000	4.40000	42545	
11	लघु सिंचाई प्रमंडल, गढ़वा (GRHMIR001)					0.41120	0.00000	4.40000	4.40000	42568	
12	लघु सिंचाई प्रमंडल, लातेहार (LTRMIR001)					0.23190	0.00000	4.40000	4.40000	42569	
13	लघु सिंचाई प्रमंडल, हजारीबाग (HZBMIR001)					0.40230	0.00000	4.40000	4.40000	42572	
14	लघु सिंचाई प्रमंडल, रामगढ़ (RGHMIR012)					0.00000	0.00000	4.40000	4.40000	42573	
15	लघु सिंचाई प्रमंडल, चतरा (CTRMIR001)					0.00000	0.00000	4.40000	4.40000	42575	

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

(लाख ₹ में)

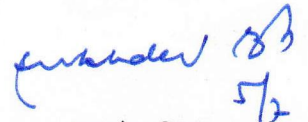
क्र.	कार्यालय का नाम	मुख्य अभियंत	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2016 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2016-17 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	लघु सिंचाई प्रमंडल, कोडरमा (KDMMIRA01)	लघु सिंचाई, राँची / दुमका	पंचम लघु सिंचाई योजनाओं का गणना कार्य	24/15-16 dt.13.08.2015	343.7426	1.13030	0.00000	4.40000	4.40000	42576	
17	लघु सिंचाई प्रमंडल, धनबाद (DHNMIR001)					0.37050	0.00000	4.40000	4.40000	42577	
18	लघु सिंचाई प्रमंडल, बोकारो (BKRMI001)					0.21690	0.00000	4.40000	4.40000	42579	
19	लघु सिंचाई प्रमंडल, दुमका (DMKMIR001)					0.25000	0.00000	4.40000	4.40000	42581	
20	लघु सिंचाई प्रमंडल, साहेबगंज (SBJMIR001)					0.40000	0.00000	4.40000	4.40000	42585	
21	लघु सिंचाई प्रमंडल, पाकुड़ (PKRMIR001)					0.24140	0.00000	4.40000	4.40000	42586	
22	लघु सिंचाई प्रमंडल, गोड्डा (GDDMIR014)					0.40000	0.00000	4.40000	4.40000	42590	
23	लघु सिंचाई प्रमंडल, जागताड़ा (JMTMIR022)					0.52350	0.00000	4.40000	4.40000	42593	
24	लघु सिंचाई प्रमंडल, गिरिडीह (GRDMIR001)					0.43069	0.00000	4.40000	4.40000	42596	
25	लघु सिंचाई रूपांकण प्रमंडल, दुमका शिविर देवघर (DGRMIR001)					0.57512	0.00000	4.40000	4.40000	42601	
योग						0.00000	106.74316	106.74316			
आवंटित राशि – ₹ एक करोड छः लाख चौवहत्तर हजार तीन सौ सोलह मात्र।											



(ऑंकार नाथ)
सहायक अभियंता



(मुक्ति साधन चौधरी)
उप सचिव (अभि.)



(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

75
05-07-16